प्रेषक,   संख्या:1467/XXIV-3/17/02(115)17

डा0भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3   देहरादून,   दिनांक: 01 ~~नवम्बर~~ दिसम्बर, 2017

विषय: वित्तीय वर्ष 2017–18 में आवश्यकता से न्यून धनराशि प्राविधानित होने के कारण 63वीं राष्ट्रीय बाक्सिंग अण्डर 17 बालक/बालिका प्रतियोगिता के आयोजन हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या:अर्थ–1/22997/5क/01(15)/2017–18, दिनांक: 03नवम्बर, 2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, महोदय वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक अनुदान संख्या–11 आयोजनेत्तर के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 02–माध्यमिक शिक्षा, 109–राजकीय माध्यमिक विद्यालय, 19–ब्लाक/जनपद/राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रीय स्तरीय खेलों में भाग लेना के अन्तर्गत मानक मद–42 अन्य व्यय में आवश्यकता से न्यून धनराशि प्राविधानित होने के कारण अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था पुनर्विनियोग के माध्यम से किये जाने हेतु संलग्न बी0एम0–09 प्रपत्र में उल्लिखित विवरणानुसार अनुदान संख्या–11 के अधीन राजस्व पक्ष में उल्लिखित 42–अन्य व्यय में प्रस्तावित व्यय हेतु **रू0 2480 हजार (रू0 चौबीस लाख अस्सी हजार मात्र)** की दिनांक 04 दिसम्बर, 2017 से 08 दिसम्बर, 2017 तक आयोजित होने वाली 63वीं राष्ट्रीय स्कूल अन्डर–17(बालिका) बाक्सिंग प्रतियोगिता 2017–18 हेतु उक्त धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत करते हुए व्यय करने की निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(क) उक्त धनराशि का व्यय उसी उद्देश्य/मद में किया जायेगा, जिसके लिए यह स्वीकृति दी जा रही है एवं व्यय करते समय विभागीय नियमों तथा वित्तीय नियमों/निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। संविदा/आउटसोर्स कार्मिकों के मानदेय का भुगतान नियमानुसार किया जाय।

(ख) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बज़ट मैनुअल,वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा विवरणानुसार अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत नियमानुसार शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हों, उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(ग) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के संगत प्राविधानों का पूर्णतः अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। यह उल्लेखनीय है कि व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(घ) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 610/3(150)/XXVII(1) 2017, दिनांक: 30 जून, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन किया जायेगा।

(ड़) मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में **अनुदान संख्या:–11** के अधीन **राजस्व पक्ष** के लेखा शीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 02–माध्यमिक शिक्षा, 109–राजकीय माध्यमिक विद्यालय, 19–ब्लाक/जनपद/राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रीय स्तरीय खेलों में भाग लेना के अन्तर्गत मानक मद–42 अन्य व्यय के अधीन संलग्नक बी0एम0–09 प्रपत्र में उल्लिखित सम्बन्धित ब्यौरेवार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: 105(म0)XXVII(3)/2017–18, दिनांक: 27नवम्बर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं

संलग्न :यथोक्त

भवदीया,

(डा0भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।

पृष्ठाकंन संख्याः–1467(1)/XXIV-3/17/02(115)2017तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार,उत्तराखण्ड देहरादून।
2– निदेशक, कोषागार, 23–लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
3– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय सचिवालय
5– विभाग (अनुभाग–3) उत्तराखण्ड शासन।
6– कम्प्यूटर सेल, वित्त विभाग।
7– एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर,देहरादून।
8– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महिमा)
उपसचिव।